ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्‌वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या........................ Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	त्वरित व समयबद्ध न्याय / न्याय में देरी अन्याय के समान है। वक पक्षकारगण प्रार्थना-पत्र में लगभग 5 वर्षों से जवाब न देकर केवल प्रकरण को litigation करने का अप्रार्थी वकील का मतलब स्पष्ट हो रहा है। न्यायहित में अप्रार्थी वकील को न्यायालय यह आदेश देता है कि वह आगामी तारीख पेशी को न्यायालय में जवाब पेश कर, प्रार्थना-पत्र पर बहस करें। जवाब पेश न होने की सूरत में जवाब बंद किया जावेगा व आगामी कार्यवाही होगी। । वास्ते मूल प्रार्थना-पत्र पर जवाब व बहस आवश्यक रूप से दिनांक 9.12.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बा…
9/12/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील उपस्थित। पिछली पेशी पर अप्रार्थी वकील को मूल प्रार्थना-पत्र का जवाब देने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। अप्रार्थी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब मूल प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु न्यायहित में समय चाहा है व साथ ही

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3) (10)

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या ....

...के न्यायालय में सहायक कलक्टर at पर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Case प्रकरण का प्रकार 111, 128

...of Case प्रकरण की संख्या 180/2018 Year वर्ष

ओंकार सिंह Versus बनाम भोमसिंह

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
पत्रावली में अग्रिम सुनवाई हेतु एक माह का समय दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी वकील द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर बहस में भाग लिया। परंतु अप्रार्थी वकील केवल प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय से चले गए। जबकि न्यायालय का समय अभी बाकी है। अगर पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो पत्रावली 23/10/18 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई। एवं अप्रार्थी सं. 1 के वकील द्वारा दिनांक 30/10/18 को वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात दिनांक 27/11/18, 30/11/18, 14/12/18 को अप्रार्थी वकील अनुपस्थित रहे। व 14/12/18 को अप्रार्थी वकील को 500 रु की कोस्ट पर जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया। 21/12/18 को अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब न देकर प्रा-प. 07R11 CPC पेश किया। व 18/1/19 को न्यायालय द्वारा प्रा-प-07R11 CPC खारिज किया गया। 22/1/19 को अप्रार्थी वकील पुन: अनुपस्थित रहे। 1/2/19 को पुन: अप्रार्थी वकील द्वारा प्रा-प अंतर्गत धारा 151 CPC पेश किया। जिस पर 8/5/19 को बहस सुनी जाकर न्यायालय द्वारा प्रा.प. खारिज किया गया। उसमें भी अप्रार्थी वकील द्वारा माननीय राजस्व मंडल	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	में रिवीजन हेतु समय चाहा परन्तु 2 माह तक माननीय न्यायालय में रिवीजन का कोई दस्तावेज पेश नही करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC खारिज किया गया। तत्पश्चात पत्रावली माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे तलब हुई जहाँ 23.12.20 को माननीय राजस्व मंडल द्वारा निगरानी खारिज की गई। दिनांक 26/02/21 को पुनः अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब न देकर पुनः एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC का पेश किया। जो कि जवाब अप्रार्थी जो 23/5/19 को बंद हो चुका था उसे पुनः जवाब देने हेतु प्रा.प. 151 CPC पेश किया जो कि प्रार्थी वकील द्वारा स्वीकार करने से अप्रार्थी वकील को जवाब का अवसर पुनः 12/03/21 को दिया गया। पत्रावली पुनः 6/8/21 तक जवाब अप्रार्थी में लम्बित रही। जहाँ 6/8/21 मे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशिका में अप्रार्थी/प्रतिवादी वकील अनुपस्थित। जवाब हेतु अंतिम अवसर 13/8/21 दिया जाता है जवाब नही देते है तो जवाब बंद समझा जावेगा। पत्रावली वास्ते जवाब व बहस प्रार्थनापत्र दिनांक 13/8/21 को रखी गई। दिनांक 24/9/21 को भी अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब न देकर तीन विविध

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

11

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
प्रार्थनापत्र न्यायालय मे पेश किए। मौका रिपोर्ट मंगवाने के प्रार्थना पर बहस सुनी जाकर न्यायालय ने तहसीलदार बाड़ी से पटवारी को दिए गए आदेश की प्रति तलब की जिसके जवाब मे TOR बाड़ी ने दिनांक 25/11/22 को जवाब देकर बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लुन्डी के खसरा न. 287 के मौका सीमांकन हेतु पटवारी को दिया गये आदेश की प्रति को ढूंढा गया। मूल आदेश नही मिल रहा है। फर्द मौका में जो पटवारी के हस्ताक्षर है वह 2018 में कार्यरत था। जहाँ तक सीमाज्ञान व पत्थरगढी का प्रश्न है इससे राजहित का प्रभावित नही होता है। एवं प्रकरण 2018 का है। 2/12/22 को मौका रिपोर्ट पुनः मंगाने पर बहस सुनी गई। व प्रा. प. वाले मौका रिपोर्ट पुनः मंगाने ~~~~ खारिज किया गया व अन्य विविध प्रार्थना पत्र समयातीत होने से खारिज किए गए। आज प्रा. प. वास्ते जवाब देने व जवाब न देने पर बंद समझा जाकर बहस हेतु निर्धारित थी। पुनः अप्रार्थी वकील द्वारा आज भी मूल प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर पुनः नवीन प्रार्थनापत्र पेश किए है। जहाँ तक उक्त प्रा प का प्रश्न है प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 287 ग्राम लुन्डी रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा के पड़ोस में ख. स. 288 अप्रार्थीगण	

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी

यूनिक ट्रेडर्स 61, एमजीएच रोड, जोधपुर 2623675, 2615421

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Year वर्ष

Number of Case प्रकरण की संख्या

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	की खातेदारी भूमि है। दोनो खसरो के मध्य मार्ग का विवाद है पत्थरगढी प्रार्थना पत्र एक प्रार्थना पत्र कार्यवाही है जिसमे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी का जवाब लेकर दोनो की बहस सुन कर निर्णय पारित किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र 23/10/18 से लम्बित है जिसमे अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब न देकर केवल निविध प्रा. प. पेश किए है। जवाब आज भी पेश नही। प्रा प (उक्त) 23/10/18 से आज 9/12/22 तक लम्बित है परंतु जवाब अप्रार्थी आज भी पेश नही है। न्याय मे देरी अन्याय के समान है। अत. अप्रार्थी वकील का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एम भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बावडी को आदेशित किया जाता है कि ख. स 287 का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी की जावे। ~~[illegible]~~ प्रार्थीगण नियमानुसार सीमाज्ञान फीस तहसीलदार बावडी को अदा करे। वक्त सीमांकन व पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को ~~[illegible] [illegible]~~ उपस्थित रहने हेतु पाबंद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तामील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड, जोध